

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या -03, गोण्डा।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-444/2026

CNR No-UPGD010014012026

1-श्रीमती अकाली आयु 45 साल पत्नी बट्टी,

2-जगसेन आयु 51 साल पुत्र राजदत्त

निवासीगण सेझिया, थाना-तरबगंज, जनपद-गोण्डा।

-----अभियुक्त।

बनाम

सरकार-----

अभियोजन पक्ष।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
 धारा-482 बी.एन.एस.एस.
 मु०अ० सं०-27/2026
 धारा-319(2), 318(4), 338,
 336(3), 340(2) बी०एन०एस०
 थाना-तरबगंज, जिला-गोण्डा।

दिनांक-09.03.2026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ। अभियुक्तगण श्रीमती अकाली व जगसेन की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा संजू केवट द्वारा इस आशय की लिखित तहरीर थाना-तरबगंज, जनपद-गोण्डा में दी गयी कि प्रार्थिनी पता उपरोक्त की निवासिनी है। प्रार्थिनी के ही ग्राम सेझिया में गाटा सं०-331 मि०/०.1820 हे० व 338/०.0240 हे० पिता महाजन पुत्र घुरहू के नाम दर्ज कागजात चला आ रहा था। जिसको प्रार्थिनी के पिता को पट्टा द्वारा प्राप्त हुआ था प्रार्थिनी के पिता का देहान्त दिनांक-28.06.1997 को हो चुका है जो सरकारी कर्मचारी थे और उनके मृत्यु के उपरान्त प्रार्थिनी की माता जी को उनकी पेंशन प्रतिमाह बराबर प्राप्त हो रही है। पिता की मृत्यु होने के उपरान्त प्रार्थिनी द्वारा कई बार वरासत के लिए प्रयास किया गया, परन्तु कभी हल्का लेखपाल द्वारा टाल मटोल करके तो कभी गांव में चकबंदी प्रक्रिया चालू होने की वजह से नहीं किया और प्रार्थिनी का वरासत नहीं हो पाया। इसी बीच जब प्रार्थिनी गांव आकर अपने उपरोक्त गाटो की खतौनी वरासत का आवेदन करने के लिए निकाला तो देखा कि उपरोक्त गाटो पर विपक्षीगण जगसेन पुत्र राजदत्त तथा श्रीमती अकाली पत्नी बट्टी व रामसिंह पुत्र छविलाल सिंह पता उपरोक्त द्वारा प्रार्थिनी के खतौनी पर अपना नाम दर्ज करा लिया। प्रार्थिनी को इस बात की जानकारी होने पर जब तहसील जाकर मुआइना कराया। तो पता चला कि गाटा सं०-331 मि० रकबा ०.1820 है० व 338 मि०/०.0240 हे० जो प्रार्थिनी के पिता के नाम दर्ज कागजात था उपरोक्त विपक्षीगणों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर फर्जी महाजन पुत्र घुरहू को खडा करके दिनांक-23.07.2025 को रजिस्ट्रीकृत करा लिया तथा दिनांक

25.09.2025 को उपरोक्त दोनों गाटों में हुए बैनामें दिनांकित 23.07.2025 के बावत पता भी दूसरे बैनामे में चेन्ज कराया गया है। जिसका नामान्तरण वर्तमान फसली पर भी हो चुका है। विपक्षीगण एक जालसाज भू-माफिया किस्म के व्यक्ति है इनका एक पूरा रैकेट चलता है तमाम प्रकार की खतौनी को ब्यौरा रखकर जालसाजी आये दिन किया करते हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थिनी के इस प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए विरुद्ध विपक्षीगण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कृपा की जावे।

उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना-तरबगंज, जिला-गोण्डा में दिनांक-22.01.2026 को 14.26 बजे, महाजन, जगसेन, श्रीमती अकाली, राम सिंह, अर्जुन कुमार, गीता व राम प्रभाकर मिश्रा के विरुद्ध घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा-319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी०एन०एस० में पंजीकृत की गयी।

अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि- प्रार्थीगण उक्त अपराध में बेगुनाह है, महज रंजिशन फंसा दिये गये हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट साजिशन, सोच समझकर दर्ज करायी गयी है। गाटा संख्या-331/0.1820 हे०, गाटा संख्या-338/0.0240 हे० स्थित ग्राम सेझिया, परगना डिक्सिर तहसील तरबगंज, गोण्डा का बैनामा महाजन पुत्र घरहू उर्फ सागर कौम केवट ने मु०-2,50,000/-रुपये में बैनामा जगसेन पुत्र राजदत्त व अकाली पत्नी बट्टी व राम सिंह को दिनांक-23.07.2025 को उपनिबंधक कार्यालय तरबगंज के समक्ष बैनामा किया गया था। बैनामा में त्रुटिवश हाल मुकदमा लिख जाने से पुनः दिनांक-25.09.2025 को किया गया, जिस पर प्रार्थीगण का अंगूठा लगा था। प्रार्थीगण महाजन पुत्र घरहू उर्फ सागर को भली भांति जानते पहचानते थे, उन्होंने क्रेतागण के पक्ष में विक्रय मूल्य लेकर बैनामा किया था। वादिनी के पिता महाजन के नाम कोई पट्टा ग्राम सेझिया में गाटा संख्या-331/0.1820 हे०, गाटा संख्या-338/0.0240 हे० का नहीं था। वादिनी श्रीमती संजू केवल की जन्मतिथि वर्ष 1996 में बतायी जाती है एवं वादिनी की तहरीर में उसके कथित पिता महाजन की मृत्यु दिनांक-28.06.1997 की बतायी जाती है, जिससे यह स्पष्ट है कि वादिनी करीब 06 माह की रही होगी, जिससे उसको पट्टा या विवादित भूमि के बारे में जानकारी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है न ही प्रार्थीगण सजायाफ्ता है। प्रार्थिनी अकाली घरेलू महिला है, अस्वस्थ रहती है एवं प्रार्थी जगसेन दुर्घटना में चोटहिल है एवं इलाज चल रहा है। थाने की पुलिस वादिनी व अन्य अवैध कब्जेदारों के दबाव में आकर प्रार्थीगण को गिरफ्तार कर लेना चाहती है और नाजायज दबिश दे रही है। प्रार्थीगण विवेचना में सहयोग कर रहे हैं। प्रार्थीगण का बाद जमानत भागने का कोई अन्देशा नहीं है और न ही गवाहान मुकदमा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ही डालेंगे। मामला जमीन संबंधी विवाद का है। मामला सिविल प्रकृति का है एवं आपराधिक रूप देकर अवैध कब्जेदारी व वादिनी द्वारा आपराधिक मुकदमा दर्ज कराकर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत पर ता फैसला मुकदमा उचित जमानत मुचलके पर रिहा करने की कृपा की जावे।

अभियोजन/विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई है और कथन किया है कि अभियुक्तगण की कथित घटना में सक्रिय भूमिका है, विवेचना अभी प्रचलित है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति की है। जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाए।

उभयपक्ष की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण नामित अभियुक्तगण है, प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार गाटा सं०-331 मि० रकबा 0.1820 है० व 338 मि०/0.0240 हे० जो वादिनी के पिता के नाम दर्ज कागजात था, अभियुक्तगण द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर फर्जी महाजन पुत्र घुरहू को खडा करके दिनांक-23.07.2025 को रजिस्ट्रीकृत करा लिया तथा दिनांक 25.09.2025 को उपरोक्त दोनों गाटों में हुए बैनामें दिनांकित-23.07.2025 के बावत पता भी दूसरे बैनामे में बदलवाया गया है। अभियुक्तगण भू माफिया किस्म के व्यक्ति है, अभियुक्तगण का गिरोह का पूरा रैकेट चलता है और अभियुक्तगण तमाम प्रकार के खतौनी का विवरण रखकर जालसाजी करते रहते हैं।

अभियोजन द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल जी०डी० व सी०डी० व राजस्व अभिलेख खतौनी तथा बैनामा की प्रति प्रस्तुत की गयी है। अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त अभिलेखों का खण्डन किया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला गम्भीर प्रकृति का बनता है। मामलें में विवेचना प्रचलित है। अभियुक्तगण के विरुद्ध कारित अपराध आजीवान कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। सहअभियुक्तगण की जमानत आज ही इस न्यायालय से निरस्त की जा चुकी है। मामला गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामलें के बिना गुण-दोष पर राय व्यक्त किये अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं पाया जाता है, तदनुसार अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण श्रीमती अकाली व जगसेन का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-444/2026, मु०अ०सं०-26/2026, अन्तर्गत धारा-319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी०एन०एस०, थाना-तरबगंज, जिला गोण्डा में निरस्त किया जाता है।

दिनांक-09.03.2026

(राजेश कुमार-III)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,

कक्ष संख्या-03 गोण्डा।